डीजी-परिपत्र संख्या-48/2023

विजय कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, टावर-2,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

दिनांकः लखनऊः नवम्बर 03 ,2023

विषयः **जनहित याचिका संख्या-1474/2019 सपोर्ट इण्डिया वेलफेयर सोसाइटी बनाम उ0प्र0 राज्य व 07 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।**

प्रिय महोदया/महोदय,

कृपया आप सभी अवगत हैं कि उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2019 के आलोक में प्रदेश के तालाबों/झीलों एवं वाटरबॉडीज पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में **आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद की अध्यक्षता** में राज्य स्तरीय समिति गठित है, जिसमें पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य विशेष अनुसंधान दल, उ0प्र0 को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

अध्यक्ष/आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ने मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है-

1- **प्रदेश के तालाबों/झीलों एवं अन्य वाटरबॉडीज पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने हेतु जनपद में राजस्व विभाग से नामित अधिकारी एवं पुलिस विभाग से नामित राजपत्रित नोडल अधिकारी के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कराते हुए अपेक्षित क्रियान्वयन यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

2-**सम्बन्धित तहसील/जनपद स्तर के राजस्व अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए तालाब/झील एवं अन्य वाटरबॉडीज पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही किये जाने की पूर्व में संचालित एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज कराये जाने विषयक है।**

उपरोक्त के संदर्भ में समस्त कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को तालाब/झील एवं अन्य वाटरबॉडीज पर अतिक्रमण से मुक्त रखने की कार्यवाही हेतु नामित करते हुए उन्हें अन्य विभागों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाये।

मुख्यालय स्तर से समीक्षा हेतु आयोजित होने वाली बैठकों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तालाब/झील एवं अन्य वाटरबॉडीज पर अतिक्रमण से मुक्त रखने की कार्यवाही की प्रगति की समीक्षा को एजेंडा बिन्दु के रूप में शामिल किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु में उल्लिखित बिन्दुओं पर जनपद प्रभारी द्वारा कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक परिक्षेत्रीय के माध्यम से जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त को प्रत्येक माह नियमित रूप से उपलब्ध कराते हुए सदस्य/पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य स्तरीय विशेष अनुसंधान दल, उ0प्र0, लखनऊ को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यालय स्तर पर आयोजित होनी वाली समीक्षा बैठकों/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के उपयोगार्थ जनपद प्रभारियों द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, जोनल के माध्यम से संदर्भित सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

सदस्य/पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य स्तरीय विशेष अनुसंधान दल, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रदेश की समेकित सूचनाओं का नियमित रूप से अभिलेखीकरण किया जायेगा तथा समिति की आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय बैठको में सुसंगत सूचनाओं के साथ प्रतिभाग किया जायेगा।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अध्यक्ष/आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की अपेक्षानुक्रम में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय से आच्छादित है, अतएव इस सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य विशेष अनुसंधान दल, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. सदस्य, राज्यस्तरीय गठित समिति/पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य विशेष अनुसंधान दल, उ0प्र0 लखनऊ।